भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

उच्चतर माध्यमिक कक्षा 11 एवं 12 के
विद्यार्थियों हेतु

अगस्त 2024
श्रावण 1946

PD 1H M

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2024

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—23 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—23

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25122023-250884
CG-DL-E-25122023-250884

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 54] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 25, 2023/ पौष 4, 1945 (शक)
No. 54] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 25, 2023/PAUSHA 4, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 25th December, 2023/*Pausha* 4, 1945 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 25th December, 2023 and is hereby published for general information:—

THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023
No. 46 of 2023

[25*th December,* 2023.]

An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.

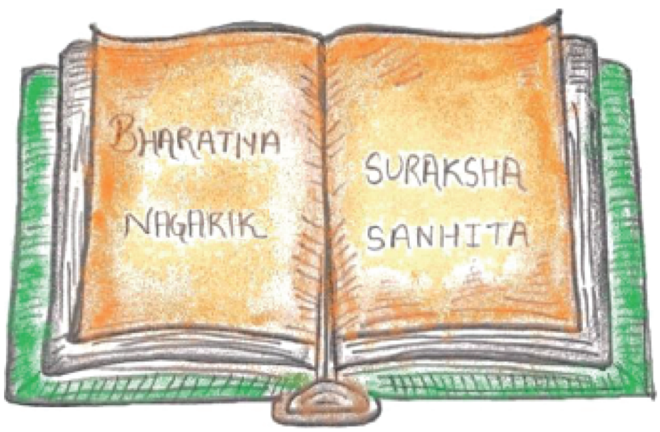

उच्चतर माध्यमिक कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों हेतु

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

नागरिकों का सशक्तीकरण

ऐसी दुनिया की कल्पना करें, जहाँ स्त्रियाँ और लड़कियाँ बिना हिंसा या परेशान किए जाने के डर से मुक्त होकर घूम सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ न्याय कोई दूर का सपना नहीं बल्कि सामाजिक यथार्थ हो। जहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता एक सामान्य चलन हो। जिसकी आवश्यकता है, वह है, आशा का एक दीपक, सुरक्षा का आश्वासन और न्याय की व्यवस्था। क्या कोई कानून है, जो इन गंभीर समस्याओं पर ध्यान दे सकता हो, जो लंबे समय से हमारे समाज की चिंता रही है? क्या आपने कहीं ऐसे कानून के बारे सुना है? आइए, आशा और विश्वास करें कि ऐसा कोई कानून हर स्त्री और लड़की की स्वतंत्रता और सुरक्षा की चिंताओं का समाधान करेगा। इस शैक्षिक प्रपत्र (मॉड्यूल) का अध्ययन करके और इस में दी गई गतिविधियों से जुड़कर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के बारे में अधिक जान सकेंगे।

अधिगम (सीखने) का उद्देश्य

इस मॉड्यूल को पढ़कर आप यह जान सकेंगे—

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इसकी मुख्य विशेषताओं को समझना।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के साथ 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की तुलना और अंतर।
- जेंडर संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य से संहिता का विश्लेषण करना।
- नागरिक सुरक्षा और संरक्षा के लिए समर्पित प्रक्रियात्मक रूपरेखा की जाँच करना।

परिचय

भारत सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को अधिनियमित किया गया है। इस संहिता से न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति के प्रति वचनबद्धता को रूपांतरित करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त इससे देश के सभी नागरिकों के लिए समानता और बंधुता सुनिश्चित करने में भी आसानी होगी। संहिता के माध्यम से भारतीय संविधान में उल्लिखित रूप में मूल कर्तव्यों को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। इससे भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना, धर्म, भाषा संबंधी और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से ऊपर उठने व महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने में मदद मिलेगी।

चित्र 1— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 में नया क्या है?

इस संहिता से विधिशास्त्र (न्यायशास्त्र) के क्षेत्र और भारतीय विधिक प्रणाली में सुधार आया है। इसका मुख्य प्रयास यह है कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को त्वरित एवं आधुनिक बनाया जाए तथा इसे समाज की समकालीन आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जाए। यह संहिता एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इसके द्वारा औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करने और परिवार, सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ स्कूलों जैसे पारस्परिक सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्थानों में होने वाले सभी प्रकार के अपराधों को कम करने के लिए निवारक विधि (कानून) बनाने का प्रयास किया जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से आपराधिक कार्यवाही में प्रौद्योगिकी के उपयोग में मदद मिलती है। पीड़ित पर केंद्रित सुरक्षा को मजबूत बनाया जाता है और आपराधिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाता है। यह संहिता अभियुक्तों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रयास करती है, जैसे निर्दोष होने की पूर्वधारणा होना और कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार आदि। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में एकल संकट समाधान केंद्र (वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर), सुरक्षा अधिकारियों, परामर्शदाताओं और आश्रयों के माध्यम से मुआवजे और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

चित्र 2— अंतर-विषयक परिप्रेक्ष्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का विकास

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी.आर.पी.सी.) के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाना।

- सी.आर.पी.सी. को भारत में विधिक प्रणाली में अनेक प्रकार की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए 1861 में पहली बार पारित किया गया था। वर्ष 1973 में, तत्कालीन अधिनियम को मौजूदा सी.आर.पी.सी. द्वारा पुन: प्रतिस्थापित किया गया था और इसमें अग्रिम जमानत जैसे बदलाव पेश किए गए थे। वर्ष 2005 में सौदा अभिवाक् *(प्ली बार्गेनिंग)* के प्रावधान और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों जैसे बदलावों को जोड़ने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। निर्भया मामले से प्रेरित होकर वर्ष 2013 के संशोधन में यौन हिंसा के खिलाफ कानून लाया गया, जल्द सुनवाई प्रक्रियाओं और पीड़ित के सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया। वर्ष 2018 के संशोधन में यौन अपराधों के लिए दण्ड को बढ़ाकर और ऐसे मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना करने सहित बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिक व्यापक उपायों को शामिल करके इन प्रावधानों को और भी मजबूत किया गया।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारत में मूल अपराध विधियों के प्रबंधन प्रक्रिया पर मुख्य विधान है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में सी.आर.पी.सी. के अधिकांश प्रावधानों को संरक्षित किया गया है, हालाँकि इसका उद्देश्य आपरधिक प्रक्रिया को सरल बनाना, विचारण अवधि कम करना, प्रक्रिया के लिए समयसीमा निर्धारित करना आदि हैं।
- इसमें अपराधों अर्थात् संज्ञेय और गैर-संज्ञेय को अलग करने का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा, अपराध की प्रकृति अर्थात् जमानती और गैर–जमानती प्रावधान शामिल हैं।

क्या आप जानते हैं?
संज्ञेय अपराध, वे गंभीर अपराध होते हैं, जिसमें पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की अनुमति है। जबकि गैर-संज्ञेय अपराध कम गंभीर होते हैं और गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता होती है।

क्या आप जानते हैं?
अपराधों को इस आधार पर कि आरोपी को अधिकार के तौर पर या अदालत के विवेक पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है या नहीं, इन्हें जमानती और गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

औचित्य

जैसा कि पहले उल्लिखित किया गया है, इस संहिता में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन किया गया है। जैसा कि इस महत्वपूर्ण अधिनियम में कहा गया है, इसमें वे प्रक्रियाएँ शामिल की गई हैं, जो नागरिकों के हितों को संज्ञान में लेकर बनाई गई हैं, जो परिस्थितियों की विविधता के कारण अपराध के शिकार होते हैं और इनसे व्यक्तियों का शारीरिक एवं भावनात्मक कल्याण प्रभावित होता है। इस संहिता को लाने का कारण समय पर न्याय प्रदान करना है, जिसमें देरी न हो या मना नहीं किया जाए। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मामलों का संदर्भ दिया जा रहा है।

क्या आप जानते हैं?
जहाँ एक मामला दो या अधिक अपराधों से संबंधित है, जिसमें से कम से कम एक संज्ञेय है, तो उस मामले को संज्ञेय माना जाएगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की मुख्य विशेषताएँ

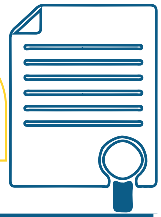

क्र. सं.	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
1 विचाराधीन व्यक्ति को हिरासत में लेना	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में जोड़ा गया है कि ये प्रावधान निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होंगे— (क) आजीवन कारावास के दण्डनीय अपराध (ख) जिन व्यक्तियों के विरुद्ध एक से अधिक अपराध की कार्यवाहियाँ लंबित हैं।
2 चिकित्सा परीक्षण	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी इस परीक्षण के लिए अनुरोध कर सकता है।
3 फोरेन्सिक (न्यायालयी) जाँच	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में दण्डनीय अपराधों सहित कारावास के कम से कम 7 वर्षों के लिए न्याय संबंधी जाँच अधिदेशित है। न्याय संबंधी विशेषज्ञ न्याय संबंधी साक्ष्य को प्राप्त करने और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए आपराधिक स्थलों का दौरा करेंगे। यदि किसी राज्य में न्याय संबंधी सुविधा नहीं है तो अन्य राज्य में उक्त सुविधा का उपयोग किया जाएगा।
4 हस्ताक्षर और अँगुलियों के निशान	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अँगुलियों की छाप और आवाज के नमूने को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है। इसमें इन नमूनों को उस व्यक्ति से प्राप्त किए जाने के लिए अनुमति दी जाती है, जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।

क्र. सं.	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
5 गवाह की सुरक्षा	गवाह न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे न्यायालय को मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें संभावित हानि या धमकी से बचाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गवाह सुरक्षा योजना पेश की गई है। राज्य सरकार को इस योजना का प्रारूप तैयार करने और अधिसूचित करने का दायित्व दिया गया है।
6 नामित पुलिस अधिकारी	प्रत्येक जनपद और थाने में कम से कम सहायक उप-निरीक्षक रैंक का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उनकी जिम्मेदारी सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम, पते और उन पर लगे आरोपों का रिकॉर्ड रखने की होगी। यह जानकारी प्रत्येक थाने और जिला मुख्यालय में प्रमुखता से संभवतः डिजिटल रूप में प्रदर्शित की जाएगी।
7 ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन और इलेक्ट्रॉनिक संचार की परिभाषाएँ	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में कुछ शब्दों (पदों) को स्पष्ट करने के लिए नई परिभाषाएँ पेश की गई हैं। ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहचान, तलाशी और जब्ती या साक्ष्य जैसी रिकॉर्डिंग प्रक्रियाओं, इलेक्ट्रॉनिक संचार संचारित करने और राज्य सरकार के नियमों द्वारा निर्धारित अन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी संचार उपकरण का उपयोग शामिल है। 'इलेक्ट्रॉनिक संचार' का तात्पर्य टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ऑडियो-वीडियो प्लेयर, कैमरा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप, जैसे– इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से लिखित, मौखिक, चित्रात्मक जानकारी या वीडियो सामग्री के प्रसारण या हस्तांतरण से है।
8 विचारण (ट्रायल) और कार्यवाहियाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जाएँ।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में सभी कानूनी कार्यवाहियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करने में सक्षमता प्रदान की गई है। इसमें समन और वारंट जारी करना, आदेश पालन एवं निष्पादित करना, शिकायतकर्ताओं और गवाहों की जाँच करना, पूछताछ और विचारण में साक्ष्य रिकॉर्ड करना और इलेक्ट्रॉनिक संचार या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से अपील या अन्य कार्रवाई करना शामिल है।

क्र. सं.	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
9 समन की इलेक्ट्रॉनिक तामील	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत, समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो एन्क्रिप्टेड प्रारूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार विधि के माध्यम से दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक समन में न्यायालय की मुहर या डिजिटल हस्ताक्षर की छवि शामिल होनी चाहिए, ताकि उनकी प्रामाणिकता और कानूनी वैधता सुनिश्चित हो सके।
10 पीड़ित पर केंद्रित दृष्टिकोण	नए कानूनों में पीड़ित पर केंद्रित दृष्टिकोण न्याय प्रणाली की सक्षमता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। इसमें पीड़ितों को आपराधिक कार्रवाई में आवश्यक हितधारकों के रूप में स्वीकार किया जाता है, उन्हें भागीदारी के अधिकार और सूचना के अधिकार का विस्तार प्रदान किया जाता है। इन सुधारों में पीड़ितों की आवश्यकताओं और अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसका उद्देश्य उन्हें असाधारण अधिकारों और अवसरों के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में केंद्रीय व्यक्ति बनाना है।

5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ

(क) किसी अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा सकती है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में संज्ञेय अपराध (वह गंभीर अपराध, जिस पर पुलिस बिना वारंट के कार्रवाई कर सकती है।) के बारे में जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने की अनुमति दी गई है। यह इस प्रकार काम करता है—

- **इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति**— पुलिस को किसी अपराध के बारे में सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जैसे– कॉल या वेबसाइट से भेजी जा सकती है।
- **हस्ताक्षर**— जहाँ सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती है, वहाँ इस पर 3 दिनों के अंदर हस्ताक्षर करना होता है।
- **एफ.आई.आर. की प्रति**— पुलिस सूचना दर्ज करने के बाद सूचना देने वाले व्यक्ति या पीड़ित को एफ.आई.आर. की एक निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराएगी।
- **महिलाओं के लिए विशेष मामले**— यौन अपराधों के मामलों में बयान महिला पुलिस अधिकारी या किसी भी महिला अधिकारी को दर्ज करना होगा।

क्या आप जानते हैं?
पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी हिरासत से बचाने के लिए 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- **पुलिस के मना करने के बारे में शिकायत**— यदि कोई पुलिस अधिकारी एफ.आई.आर. दर्ज करने से मना करता है, तो पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जा सकता है।

(ख) जीरो एफ.आई.आर.

जीरो एफ.आई.आर. एक ऐसी एफ.आई.आर. है, जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। फिर इसे उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहाँ अपराध हुआ था। पुलिस किसी गंभीर अपराध की सूचना मिलने पर तुरंत जीरो एफ.आई.आर. दर्ज करेगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जाँच प्रक्रिया बिना किसी देरी के प्रारंभ की जा सके।

क्या आप जानते हैं?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत किसी अपराध के प्रत्येक आरोपी व्यक्ति को कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी निष्पक्ष सुनवाई हो।

(ग) पीड़ित को प्रगति रिपोर्ट

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार— पीड़ितों को अपने मामले की प्रगति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है। इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज होने की तारीख से 90 दिनों के अंदर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना शामिल है। इस रिपोर्ट में जाँच एवं की गई किसी भी गिरफ्तारी और मामले से संबंधित अन्य संगत घटनाक्रमों के बारे में अद्यतित करना शामिल हैं। पीड़ितों के समक्ष पारदर्शिता बनाए रखने और कानूनी प्रक्रिया में उनका भरोसा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सूचित रखना आवश्यक है।

क्या आप जानते हैं?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, यदि जाँच निर्धारित समय के अंदर पूरी नहीं होती है, तो आरोपी को जमानत पाने का अधिकार होता है।

(घ) पुलिस द्वारा तलाशी और जब्ती

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत जब पुलिस तलाशी लेती है या साक्ष्य के तौर पर कुछ लेती है, तो उसे वीडियो पर रिकॉर्ड करना होता है और फोन या कैमरे का इस्तेमाल करके तस्वीरें लेनी होती हैं। इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि सब कुछ सही तरीके से किया गया है और कुछ भी छूट नहीं गया है। रिकॉर्डिंग और फोटो को फिर स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास सत्यापन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाता है कि सब कुछ कानून के अनुसार किया गया था।

क्या आप जानते हैं?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की अपेक्षा है कि यौन अपराध के मामलों में पीड़ितों की पहचान को संरक्षित किया जाए ताकि उन्हें लांछित होने से बचाया जा सके।

(ङ) गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों का विस्तार किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं—

- जब कोई पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करता है तो उसके पास उसका नाम और पद दर्शाने वाला पहचान पत्र होना चाहिए।

- गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को वकील की माँग करने का अधिकार है।
- जब तक कोई बहुत गंभीर परिस्थिति न हो, किसी महिला को महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
- गंभीर अपराधों या आदतन अपराधियों के मामले में गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- गिरफ्तार व्यक्ति को यह अवश्य बताया जाना चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और यदि अपराध में इसकी अनुमति है तो उसे जमानत पाने का अधिकार है।
- पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार या उसके द्वारा चुने गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और उसे रखे जाने के स्थान के बारे में सूचित करना चाहिए।
- मेडिकल प्रतिनिधि द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की जाँच की जानी चाहिए।
- यदि गिरफ्तार व्यक्ति महिला है, तो महिला चिकित्सा प्रतिनिधि को जाँच करनी चाहिए।
- वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए।

क्या आप जानते हैं?
किसी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़ कर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

(च) जाँच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट (आरोप पत्र या चालान)

किसी मामले की जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी को अपनी जाँच रिपोर्ट निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि अनावश्यक देरी न हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए, यह जाँच सूचना दर्ज करने की तारीख से 60 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में की गई जाँच, एकत्र किए गए साक्ष्य का विवरण शामिल होता है और इसे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट की एक प्रति आरोपी को अधिकार के रूप में प्रदान की जाती है।

क्या आप जानते हैं?
यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का भय हो तो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है, ताकि वह हिरासत में लिए जाने से बच सके।

6. आपराधिक न्याय के लिए संस्थागत व्यवस्था

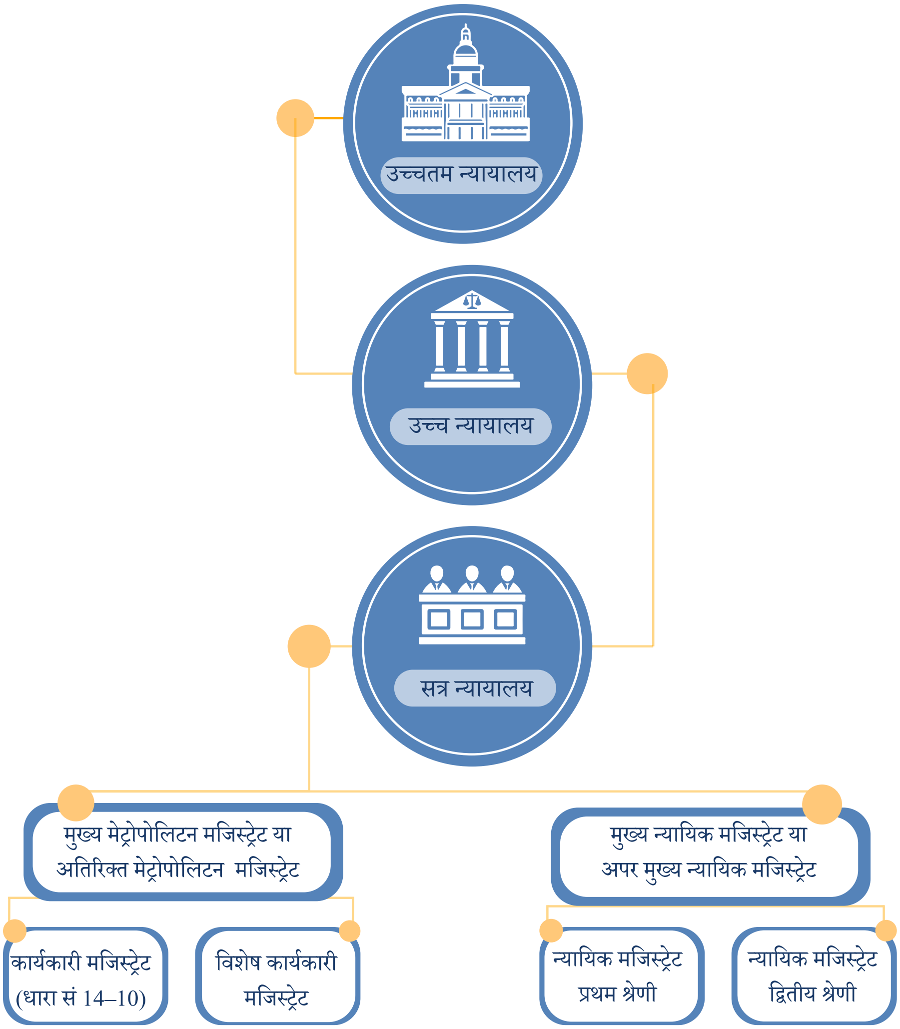

चित्र 3— आपराधिक मामलों के निर्णय के लिए न्यायालयों का पदानुक्रम

7. प्रश्नोत्तरी

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(क) आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
(ख) व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाना
(ग) शिक्षा में सुधार करना
(घ) बुनियादी संरचना का विकास करना

(उत्तर– ख)

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के क्रियान्वयन के लिए कौन-सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है?

(क) शिक्षा मंत्रालय
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(ग) विधि एवं न्याय मंत्रालय
(घ) रक्षा मंत्रालय

(उत्तर– ग)

3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी आरोपी को अधिकतम कितनी अवधि तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है?

(क) 24 घंटे
(ख) 48 घंटे
(ग) 72 घंटे
(घ) 7 दिन

(उत्तर– क)

4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत शिकायत कौन दर्ज करा सकता है?

(क) कोई भी व्यक्ति
(ख) केवल पुलिस अधिकारी
(ग) केवल सरकारी अधिकारी
(घ) केवल आरोपी

(उत्तर– क)

5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को किस कानून के स्थान पर लाया गया है?

(क) भारतीय दण्ड संहिता, 1860
(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.), 1973
(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
(घ) अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956

(उत्तर– ख)

6. समन क्या है?

(क) न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश
(ख) जुर्माना भरने का आदेश
(ग) गिरफ्तार करने का आदेश
(घ) संपत्ति जब्त करने का आदेश

(उत्तर– क)

8. मामले का अध्ययन

नए आपराधिक कानूनों ने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जिनमें से कुछ समाचार पत्रों में लेखों और दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए विज्ञापनों के रूप में पढ़ सकते हैं, जिसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है—

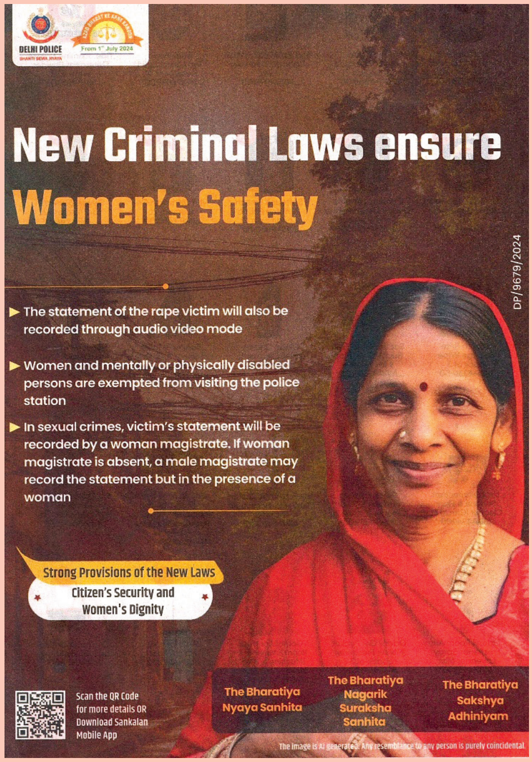

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया, 13 जुलाई, 2024

इस समाचार को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित पर अधिक जानकारी एकत्र कर सकते हैं—

(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत महिलाओं के लिए अन्य प्रावधान क्या हैं?

(ख) ई-एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पर 1000 शब्दों का निबंध लिख सकते हैं।

(ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक संदेश लिखें।

(घ) स्वयं और साथियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्या करें और क्या न करें की सूची तैयार करें।

भारत में अपराधों ने नीति निर्माताओं को मौजूदा कानूनों पर विचार करने के लिए विवश किया है और तदनुसार बदलाव किए गए हैं ताकि इन पर ध्यान दिया जा सके और सभी नागरिकों के सम्मान और कल्याण के अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके। आप यह जानना चाहेंगे कि संहिता को लोकतांत्रिक लोकाचार को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई थी, जहाँ स्वयं और दूसरों का सम्मान किया जाता है।

9. गतिविधियाँ

मामला— 2

सारांश— मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के कुल 11,58,815 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 के दौरान कुल आई.पी.सी. अपराधों का 32.5% था, जिनमें से चोट (6,27,676 मामले) में अधिकतम मामले अर्थात् 54.2% थे, इसके बाद लापरवाही से मौत के मामले (1,59,096 मामले, 13.7%) और अपहरण के मामले (1,07,588 मामले, 9.3%) थे।

मानव शरीर के प्रति अपराधों के तहत दर्ज मामलों में 2021 (11,00,425 मामले) की तुलना में 2022 में 5.3% की वृद्धि देखी गई है और अपराध दर 2021 में 80.5 से बढ़कर 2022 में 84.0 हो गई है।

गतिविधि— आप अपराध दर में वृद्धि के कारणों को समझाते हुए एक लेख तैयार कर सकते हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध

वर्ष 2022 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 (4,28,278 मामले) की तुलना में 4.0% की वृद्धि दर्शाता है।

भारतीय दण्ड संहिता के तहत महिलाओं के प्रति अपराध के तहत दर्ज किए गए अधिकांश मामले 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (31.4%) के तहत दर्ज किए गए, इसके बाद 'महिलाओं का अपहरण और व्यपहरण' (19.2%), 'महिलाओं पर उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाने के आशय से हमला' (18.7%) और 'बलात्कार' (7.1%) के मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2022 में प्रति लाख महिला आबादी पर दर्ज अपराध दर 66.4 थी, जबकि 2021 में यह 64.5 थी।

गतिविधि 1— विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किए गए अपराधों को नैदानिक कारकों के साथ प्रकट करने वाली एक परियोजना शुरू की जा सकती है।

गतिविधि 2— उन महिला रोल मॉडल पर एक लघु फिल्म की पटकथा तैयार की जा सकती है, जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया है और अपने योगदान के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है।

बच्चों के प्रति अपराध

वर्ष 2022 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,62,449 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2021 (1,49,404 मामले) की तुलना में 8.7% की वृद्धि दर्शाई गई है। प्रतिशत के लिहाज से, 2021 के दौरान 'बच्चों के खिलाफ अपराध' के तहत प्रमुख अपराध अपहरण और व्यपहरण (45.7%) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (39.7%) थे। जिसमें बच्चों के साथ बलात्कार भी शामिल है। वर्ष 2022 में प्रति लाख बच्चों की जनसंख्या पर दर्ज अपराध दर 36.6 थी, जबकि 2021 में यह 33.6 थी।

गतिविधि— आप विभिन्न पृष्ठभूमि के उन बच्चों के मामले में केस स्टडी तैयार कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी बढ़ती आयु के वर्षों में हिंसा का सामना किया है। आप एस.डी.जी., विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों, ट्रांसजेंडर बच्चों को शामिल कर सकते हैं। इस जानकारी को चार्ट, आरेख और किसी अन्य रचनात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है, जिसे आप चुनना चाहें।

कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर

वर्ष 2022 के दौरान किशोरों के विरुद्ध कुल 30,555 मामले दर्ज किए गए, जिनमें वर्ष 2021 की तुलना में 2.0% (31,170 मामले) की गिरावट दर्शाई गई है। वर्ष 2021 में अपराध दर 7.0 से घट कर वर्ष 2022 में 6.9 हो गई है।

वर्ष 2022 के दौरान 30,555 मामलों में कुल 37,780 किशोरों को पकड़ा गया, जिनमें से 33,261 किशोरों को आई.पी.सी. के मामलों में और 4,519 किशोरों को एस.एल.एल. के मामलों में पकड़ा गया।

वर्ष 2022 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता और विशेष कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अपराधों के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए अधिकांश किशोर 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग (78.6%) (37,780 में से 29,690) के थे।

गतिविधि— आप कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों तथा इस महत्वपूर्ण आयु वर्ग को कवर करने के लिए निवारण तंत्र प्रदान करने वाले कानूनी तंत्र पर एक विस्तृत निबंध तैयार कर सकते हैं।

आर्थिक अपराध

आर्थिक अपराधों के तहत कुल 1,93,385 मामले दर्ज किए गए, जिनमें वर्ष 2021 (1,74,013 मामले) की तुलना में पंजीकरण में 11.1% की वृद्धि दर्शाई गई है। आर्थिक अपराधों की तीन निर्दिष्ट श्रेणियों में से अर्थात आपराधिक विश्वासघात, एफ.सी.एफ. (जालसाजी, धोखाधड़ी और धोखा) और जालसाजी। एफ.सी.एफ. में ऐसे मामलों की अधिकतम संख्या 1,70,901 थी, इसके बाद वर्ष 2022 के दौरान आपराधिक विश्वासघात (21,814 मामले) और जालसाजी (670 मामले) थे।

गतिविधि— आप एक महीने में हुए आर्थिक अपराधों पर समाचार पत्रों से लेख एकत्र कर सकते हैं और उनका विश्लेषण कर सकते हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।

साइबर अपराध

साइबर अपराध के तहत कुल 65,893 मामले दर्ज किए गए, जिनमें वर्ष 2021 (52,974 मामले) की तुलना में पंजीकरण में 24.4% की वृद्धि दर्शाई गई है। इस श्रेणी के तहत अपराध दर वर्ष 2021 में 3.9 से बढ़कर वर्ष 2022 में 4.8 हो गई।

वर्ष 2022 के दौरान, दर्ज किए गए साइबर अपराध के 64.8% मामले धोखाधड़ी (65,893 मामलों में से 42,710) के उद्देश्य से थे, इसके बाद जबरन वसूली (3,648 मामले) और यौन शोषण (3,434 मामले) के 5.2% मामले दर्ज किए गए।

गतिविधि— आप अपने स्कूल में साइबर अपराधों और उनके कवरेज को दर्शाने वाला एक चार्ट तैयार कर सकते हैं। आपके स्कूल और सरकार द्वारा इस पर ध्यान देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

स्रोत— *भारत में अपराध, 2022,* सांख्यिकी खंड I, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय) भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग— 48, महिपालपुर, नई दिल्ली

हम और कानून

10. कुछ विचार

(क) व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देने के लिए एक स्तंभ के रूप में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पर एक केस स्टडी लिखें।

(ख) संहिता के महत्वपूर्ण घटकों पर प्रकाश डालते हुए पोस्टर, चार्ट, ऑडियो-वीडियो सामग्री तैयार करें।

माता-पिता के लिए संदेश

आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को पढ़ सकते हैं और औपनिवेशिक कानूनों से इसके अंतर के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस जानकारी को अपने बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि यह पीड़ित केंद्रित, प्रौद्योगिकी के अनुकूल है। इसमें पीड़ितों को न्याय समयबद्ध रूप से दिया जाना है। आप निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ताकि माता-पिता के रूप में हम अपने बच्चों को कानून का पालन करने वाले नागरिक बनने के लिए शिक्षित कर सकें और साथियों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करते समय एक अनुकूल वातावरण बनाने में मदद कर सकें। बच्चों को अन्य लोगों के मूल अधिकारों का सम्मान करने और आम सहमति बनाने, एक-दूसरे के योगदान को महत्व देने आदि में विश्वास करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. श्रीवास्तव, गौरी एवं अन्य. 2024–25. *लीगल लिटरेसी हैंडबुक फॉर करिकुलम डेवलपर्स.* (अप्रकाशित). रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

2. भारत सरकार. 2023. *भारत का राजपत्र, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, की सं. 46.* भारत सरकार नई दिल्ली

UN344

विद्ययाऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING